राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांकः– प010(22)/आयु0/2010 जयपुर दिनांकः–

संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमाक प010(2)/आयु0/2010 दिनांक 30.12.2014 द्वारा वर्ष 2015 में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत आदेश जारी कियें गयें थे जिसमें अंकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई विभागीय जॉच/प्रारम्भिक जॉच/शिकायत/एफ0आई0आर0 आदि विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण पत्र अंकित किया गया था। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 358–560 दिनांक 30.03.2015 के निर्देशानुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 78 में वर्णित प्रारूप 6 के क्रम में निम्नानुसार आदेश जारी कियें जाते है।

श्री/श्रीमती इस विभाग के आदेश क्रमांक प010(2)/आयु0/2010 दिनांक 30.12.2014 में क्रम संख्या 1 से 134 जो (पद नाम) आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रूप में (सेवा) आयुर्वेद सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिक की आयु पुरी कर लेने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती क्रम संख्या 1 से 134 के के विरूद्ध दिनांक 30.12.2014 तक (तत्समय) :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम ,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक आयुर्वेद अपने स्तर से उक्त अवधि के बाद इस बाबत् विभागीय जॉच/प्रारम्भिक जॉच /शिकायत एवं एफ0आई0आर बाबत् कोई हो तो पुनः जॉच करलेवें।

(सेवा राम स्वामी)
उप शासन सचिव

क्रमांकः–प010(22)/आयु0/2010
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषितः–
1. निदेशक ,पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
3. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : प.1/प्रति.7/अधि.से.नि.–15 14919 दिनांक 28-9-15

प्रतिलिपी : निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1. समस्त अधिनस्थ कार्यालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान
2. प्रभारी, प्रति.6 (पेंशन) शाखा, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. सहा.प्रोग्रामर निदे. आयुर्वेद विभाग अजमेर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सामान्य पत्रावली।

नोट– सूची के क्रम संख्या 38 पर अंकित श्री प्रभुदयाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, 86 पर अंकित श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री वनमालिदत्त शर्मा, 92 पर अंकित श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवकरण शर्मा, 97 पर अंकित श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा, एवं 113 पर अंकित श्री महेशचन्द गौतम पुत्र श्री हरि बल्लभ शर्मा उक्त चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम–16 के अधीन विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित है।

(विनीता श्रीवास्तव)
निदेशक